[2011] 5 एस. सी. आर. 958

नाथ शंकर महाजन

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या–970/2006)

अप्रैल 28, 2011

[वी. एस. सिरपुरकर और टी. एस. ठाकुर, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 – मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि – मृत्युकालिक कथन में, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके पति–आरोपी ने उसकी सतीत्व पर संदेह करते हुए उसे पीटा और उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी।निचले न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया ओर पति को धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया –चिकित्सक द्वारा पीड़िता के बयान पर इस आशय का समर्थन किया गया कि वह होश में थी और बयान देने की स्थिति में थी। चिकित्सक ने अपनी गवाही में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पीड़िता खुद को समझने की स्थिति में थी और बयान देने की स्थिति में थी। मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए थे – जिरह में चिकित्सक और मजिस्ट्रेट साक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं हुए। – पीड़िता ने अपने पिता को मौखिक मृत्युकालिक बयान भी दिया था – निचली अदालतों ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करके और आरोपी को दोषी ठहराकर कोई गलती नहीं की – साक्ष्य मृत्युकालिक कथन।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी – पति और उसकी पत्नी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे क्योंकि उसे उसकी सतीत्व पर संदेह था। आरोपी ने पूरी रात अपनी पत्नी की पिटाई की और अगली सुबह उसे आग के हवाले कर दिया। उसकी चीखें पड़ोसी (पीडब्ल्यू 2) ने सुनीं जो वहां आया और उसके पिता को सूचना भेजी कि मृतका जल गयी थी। पिता आये और मृतका को अस्पताल ले गये। अस्पताल पहुंचने के बाद, चिकित्सक (पीडब्लू–5) द्वारा उसका इलाज किया गया, जिसने उसके मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित किए जाने की भी व्यवस्था की। मृत्युकालिक कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट (पीडब्लू 3) द्वारा दर्ज किया गया था। पीडब्लू 5 ने भी मृत्युकालिक कथन का समर्थन किया है कि मृतका होश में थी और बयान देने की स्थिति में थी। निचली दोनों अदालतों ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया और आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की गई थी।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

जिरह में पीडब्लू 3 और 5 के साक्ष्य बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। पीडब्लू 5 ने अपने साक्ष्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतका खुद को समझने की स्थिति में थी और बयान देने की स्थिति में थी। इसलिए, भले ही चिकित्सक ने कहा हो कि वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि पीडब्लू 3 को वास्तव में क्या बताया गया था, विशेष रूप से पीडब्लू – 3 के बयान के मद्देनजर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने मृतक के मृत्युकालिक कथन को दर्ज किया था कि उसने वही दर्ज किया था जो मृत्युकालिक कथन में मृतका ने कहा था, मृतका ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके सतीत्व के बारे में संदेह के कारण उसे पीटा था और अंततः, उसने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। उसने उस व्यक्ति का नाम भी बताया जिसके साथ वह कथित तौर पर जुड़ी हुई थी। एक और परिस्थिति थी जिस पर ध्यान

नहीं दिया गया था, अर्थात मृतका द्वारा अपने पिता को मौखिक मृत्युकालिक कथन किए गए थे। जैसे ही वह मृतका के घर पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि वह कैसे जल गयी। इस बिंदु पर उस गवाह से कोई जिरह नहीं की गई, जिसे पीडब्लू 6 के रूप में परीक्षित किया गया था निचली दोनों अदालतों ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करने और आरोपी को दोषी ठहराने में कोई गलती नहीं की।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या– 970/2006

(आपराधिक अपील संख्या 176/1996 में उच्च न्यायालय बॉम्बे पीठ औरंगाबाद, के निर्णय और आदेश दिनांक 24.06.2004 से।)

अपीलार्थी की ओर से: रंजन मुखर्जी, एस. भौमिक।

प्रतिवादी की ओर से: शंकर चिल्लारगे (आशा गोपालन नायर की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश सिरपुरकर द्वारा दिया गया।

1. यह अपील सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों के विरुद्ध है, जिनमे आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इस आरोप में कि उसने अपनी पत्नी सखुबाई के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर और उसे आग के लगाकर हत्या कर दी थी।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी और उसकी पत्नी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे क्योंकि पति को अपनी पत्नी की सतीत्व पर संदेह था और उसका मानना था कि उसके किसी बाबूलाल परशुराम महाजन के साथ अवैध संबंध थे, आरोप

है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात 19.3.1985 को आरोपी ने पूरी रात पीड़िता की पिटाई की और अंततः सुबह उसे आग लगा दी। उसकी चीखें उसके पड़ोसी पीडब्ल्यू 2 भगवान माली ने सुनीं और उसने आकर उसके पिता बाबू लाल डागा महाजन को सूचना भेजी कि मृतका को जला दिया गया था। पिता ही मृतक को अस्पताल ले गए थे। अस्पताल पहुंचने के बाद, उसका इलाज पीडब्लू 5 डॉ. दगडू पवार द्वारा किया गया, जिन्होंने उसके मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित किए जाने की भी व्यवस्था की। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि उसका मृत्युकालिक कथन एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट पीडब्लू 3 भालेराव भीमसिंग सालुंके द्वारा दर्ज किया गया था। पीडब्लू 5 डॉ. दगडू पवार ने भी मृत्युकालिक कथन का समर्थन किया है कि मृतका होश में थी और बयान देने की स्थिति में थी निचली दोनों अदालतों ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया है।

3. अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री रंजन मुखर्जी ने तर्क दिया कि इस मामले में सजा का एकमात्र आधार उपरोक्त मृत्युकालिक कथन है और इसलिए, यदि इस मृत्युकालिक कथन के बारे में कोई संदेह है, तो इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। यह कानून की सही प्रतिपादना है हालाँकि, यह भी स्थापित स्थिति है कि जहां मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय, श्रेय योग्य और अदालत में अपील योग्य है, उसे सजा का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। यहाँ भी ऐसा ही प्रतीत होता है।

4. हमने खुद मृत्युकालिक कथन का अध्ययन किया है और पीडब्लू 3 और 5 के साक्ष्य भी देखे हैं जिनके साक्ष्य जिरह में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। पीडब्लू 5 डॉ. दगडू पवार ने अपने साक्ष्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका खुद को समझने की स्थिति में थी और बयान देने की स्थिति में थी। इसलिए, भले ही चिकित्सक कहता है कि वह इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वास्तव में पीडब्लू 3 को क्या बताया गया था, इससे विशेष रूप से पीडब्लू 3 के बयान को ध्यान में रखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने मृतक की मृत्युकालिक कथन दर्ज किए थे कि उसने वही अभिलिखित

किया था जैसा उसने कहा था। मृत्युकालिक कथन में, मृतका ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके सतीत्व के बारे में संदेह के कारण उसे पीटा था और अंततः, उसने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। उसने उस व्यक्ति का नाम भी बताया है जिसके साथ वह कथित तौर पर जुड़ी हुई थी।

5. एक और परिस्थिति है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वह है, मृतका द्वारा अपने पिता को दिया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन है कि जैसे ही वह मृतका के घर पहुंचा, उसने उससे पूछा कि वह कैसे जल गयी। इस बिंदु पर इस गवाह से कोई जिरह नहीं की गई जो पीडब्लू 6 के रूप में परीक्षित हुआ था।

6. इन परिस्थितियों में, हमें लगता है कि निचली दोनों अदालतों ने मृत्युकालिक कथन पर भरोसा करके और आरोपी को दोषी ठहराकर कोई गलती नहीं की है। इसलिए, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

डी.जी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक श्री विनोद कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।